भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6372
गुरुवार 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिम एशियाई संघर्ष का प्रभाव

6372. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लंबे उड़ान मार्गों और हवाई क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण कार्गो प्रचालन, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल और खराब होने वाले निर्यातों को बाधित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या युद्ध लंबा खिंचने की स्थिति में खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आकस्मिक निकासी योजनाएं मौजूद हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में युद्ध जोखिम कवरेज के कारण भारतीय विमानन कंपनियों के लिए विमानन बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का क्या आकलन किया गया है;
(घ) क्या तैयारियों और यात्री सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए एयर इंडिया और इंडिगो सहित प्रमुख भारतीय विमानन कंपनियों के साथ कोई समन्वय बैठकें आयोजित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण उत्पन्न व्यवधानों को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक विमानन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : बाहरी हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों, विस्तारित रूटिंग और हवाई क्षेत्र की भीड़भाड़ के कारण कार्गो प्रचालन में परिचालन व्यवधान का अनुभव किया है। सभी प्रकार के कार्गो प्रभावित हुए, जिसमें दवा और पेरिशबल वस्तुएं शामिल थीं।

(ख) : सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और विकसित वैश्विक स्थितियों पर बारीकी से नज़र रख रही है। नागरिकों को वर्तमान स्थिति, सुरक्षा उपायों और उपलब्ध यात्रा विकल्पों के बारे में सूचित करने के लिए नियमित एडवाइजरी जारी की जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय मिशन आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से 24x7 सहायता प्रदान करते हैं, जबकि विदेश मंत्रालय में एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष प्रभावित नागरिकों और उनके परिवारों के प्रश्नों के लिए वास्तविक समय की निगरानी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। सरकार ने दिनांक 25 मार्च 2026 तक इन क्षेत्रों से गैर-अनुसूचित प्रचालन सहित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा 4.75 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान की है।

(ग) से (ङ) : मौजूदा स्थिति के मद्देनजर पश्चिम एशियाई गंतव्यों के लिए उड़ानों के लिए युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम में वृद्धि देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन लागत में वृद्धि हुई है।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) जोखिम-आधारित विनियामक दृष्टिकोण का अनुपालन करता है, जिसमें एयरलाइनों को अपने आंतरिक सुरक्षा जोखिम आकलन, परिचालन संबंधी कारकों और प्रचलित खतरे की अवधारणाओं के आधार पर परिचालन संबंधी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, एयरलाइनें अपने परिचालन और मार्ग के लिए विस्तृत सुरक्षा जोखिम आकलन करती हैं, जिसमें संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्र भी शामिल हैं।
